रामेश्वरलाल बनाम तहसीलदार
मुकदमा नम्बर 204/2022

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर नावां (नागौर)

मुकदमा नम्बर :– 204/2022

प्रार्थी :–

रामेश्वरलाल पुत्र आसु जाति मेघवंशी निवासी ग्राम पांचवा तहसील कुचामन सिटी।

बनाम

अप्रार्थीगण :–

तहसीलदार भूमिधारी नावां तहसील नावां।

प्रार्थना पत्र बाबत :– नक्शा ट्रेस में तरमीम शुद्ध करने
अन्तर्गत धारा 131,136 आर.एल.आर. एक्ट
एवं नियम 60 भू–राजस्व (भू–अभिलेख) 1957

पीठासीन अधिकारी : श्री अंशुल सिंह आर.ए.एस.

उपस्थित :– श्री सुरेन्द्र सेवर अधिवक्ता प्रार्थी

निर्णय

दिनांक :– 26.12.2022

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि राजस्व ग्राम भांवता तहसील नावां की सरहद में कृषि भूमि गत खसरा नम्बर 114 मीन स्थित रही है जिसके नवीन भू–प्रबंध की कार्यवाही सन् 1985–86 के दौरान नवीन खसरा नम्बर 361 रकबा 0.24 हैक्टर, खसरा नम्बर 363 रकबा 3.50 हैक्टर कायम हुए है। उपर्युक्त गत खसरा नम्बर 114 मीन के भाग नवीन खसरा नम्बर 363 का आपसी सहमति से विभाजन होने के पश्चात नवीन खसरा नम्बर 1128/363 रकबा 1.01 हैक्टर स्थित रही। गत खसरा नम्बर 114 की पश्चिमी सीमा के सहारे सहारे रास्ता चला आ रहा था जो नवीन भू–प्रबंध की कार्यवाही के दौरान भू–प्रबंध अधिकारियों के बिना किसी आदेश व आधार के रास्ते को गत स्थिति से भिन्न करते हुए नवीन खसरा नम्बर 361 की पूर्वी सीमा पर कायम कर दिया जो नवीन खसरा नम्बर 361 की पश्चिमी सीमा के सहारे सहारे कायम किया जाना था। उक्त रास्ता वर्तमान में खसरा नम्बर 361 की पश्चिमी सीमा के सहारे सहारे प्रचलित है। उक्त गत स्थिति अनुसार रास्ते का अलग भिन्न करने से प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 361 रकबा 0.24 हैक्टर, खसरा नम्बर 1128/363 रकबा 1.01 हैक्टर के दो भागों में नक्शा ट्रेस में विभाजित कर दिया जबकि मौके पर उक्त भूमि एक ही चक में स्थित चली आ रही है तथा उक्त रास्ता खसरा [illegible]61 की पश्चिमी सीमा के सहारे सहारे स्थित है। मौके पर गत खसरा अनुसार ही [illegible] आ रहा है तथा मौके पर आमाद रफत चल रही है तथा आवागमन [illegible] या रूकावट नहीं है। राजस्व रिकॉर्ड नक्शा ट्रेस में रास्ते का अंकन होने से प्रार्थी को काफी परेशानियों का [illegible] करना पड़ रहा है। इसलिए प्रार्थी को नक्शा ट्रेस में तरमीम दुरू[illegible] हेतु यह प्रार्थना पत्र [illegible]किया। राजस्व

Signature Not Verified
Digitally signed by Anshul Singh
Date: 2023.07.05 15:07:55 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नावां (नागौर)

ग्राम भांवता तहसील नावां की सरहद में कृषि भूमि गत खसरा नम्बर 114 के नवीन खसरा नम्बर 361, खसरा नम्बर 363 का नक्शा ट्रेस माफिक गत नक्शा ट्रेस के अनुसार दुरूस्त कर कायम करने का आदेश तहसीलदार नावां को प्रदान करने का निवेदन किया।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को तलब किया गया। अप्रार्थी तहसीलदार नावां ने जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि ग्राम भांवता के गत खसरा नम्बर 114 मीन के नवीन खसरा नम्बर 361 रकबा 0.24 हैक्टर, खसरा नम्बर 363 रकबा 3.50 हैक्टर कायम हुए है। गत खसरा नम्बर 114 मीन के नवीन खसरा नम्बर 363 का विभाजन होने से नवीन खसरा नम्बर 1128/363 रकबा 1.01 हैक्टर बने है। गत खसरा नम्बर 114 पश्चिमी सीमा के सहारे रास्ता गत भू–प्रबंध के नक्शे में दर्शित है एवं नवीन खसरा नम्बर 1128/363 के पश्चिमी तरफ रास्ता वर्तमान में रिकॉर्ड दर्ज है। प्रार्थी की इस्तदुआ अनुसार रिकॉर्ड अनुसार राजस्व नक्शे में तरमीम किया जाना उचित है।

बहस सुनी गई। पत्रावली एवं पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन किया गया।

उपरोक्त विवेचनानुसार राजस्व ग्राम भांवता तहसील नावां की सरहद में कृषि भूमि गत खसरा नम्बर 114 मीन स्थित रही है जिसके नवीन भू–प्रबंध की कार्यवाही दौरान नवीन खसरा नम्बर 361 रकबा 0.24 हैक्टर, खसरा नम्बर 363 रकबा 3.50 हैक्टर कायम हुए एवं उपर्युक्त गत खसरा नम्बर 114 मीन के भाग नवीन खसरा नम्बर 363 का आपसी सहमति से विभाजन होने के पश्चात नवीन खसरा नम्बर 1128/363 रकबा 1.01 हैक्टर कायम हुए। गत नक्शा ट्रेस के अवलोकन से गत खसरा नम्बर 114 की पश्चिमी सीमा के सहारे सहारे रास्ता चला आ रहा था जो नवीन भू–प्रबंध की कार्यवाही के दौरान नवीन खसरा नम्बर 361 की पूर्वी सीमा पर कायम कर दिया जबकि नवीन खसरा नम्बर 361 की पश्चिमी सीमा के सहारे सहारे कायम किया जाना था। तहसीलदार नावां ने भी प्रार्थना पत्र की इस्तदुआ अनुसार रिकॉर्ड अनुसार राजस्व नक्शे में तरमीम किया जाना उचित बताया है। इसलिए गत नक्शा ट्रेस एवं तहसीलदार नावां की रिपोर्ट अनुसार ग्राम भांवता के खसरा नम्बर 362 गै.मु. रास्ता को खसरा नम्बर 361 की पश्चिमी सीमा के सहारे सहारे नक्शा ट्रेस में तरमीम दुरूस्त करने योग्य है। इसलिए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम भांवता के खसरा नम्बर 362 गै.मु. रास्ता को गत नक्शा ट्रेस एवं तहसीलदार नावां की रिपोर्ट अनुसार ग्राम भांवता के खसरा नम्बर 361 रकबा 0.24 हैक्टर भूमि के पश्चिमी सीमा के सहारे सहारे राजस्व नक्शा ट्रेस में दुरूस्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। तद्नुसार तहसीलदार नावां को नक्शा ट्रेस में तरमीम करने हेतु आदेशित किया जाता है। तहसीलदार नावां को तहरीर जारी हो।

यह निर्णय आज दिनांक 26.12.2022 को सरे न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Anshul Singh
Date: 2023.07.05 15:07:55 IST
Reason: SelfAttested

(अंशुल सिंह)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
नावां (नागौर)

उपखण्ड अधिकारी
नावां (नागौर)